रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	02]	नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 8, 2019/पौष 18, 1940
No.	02]	NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 8, 2019/PAUSHA 18, 1940

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(प्रशिक्षण महानिदेशालय)

संकल्प

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2018

सं. डीजीटी-ए-11018/1/2018-प्र.शा.II.—भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में कौशल प्रशिक्षण और शिक्षुता प्रशिक्षण में सुधार करने तथा राज्य स्तर पर इन कार्यक्रमों के प्रभावी, समन्वित विकास और निगरानी को सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है। गहन विचार करने के पश्चात प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय (आरडीएसडीई) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अनुसार प्रस्तावित आरडीएसडीई **अनुबंध-1** में दिए गए हैं, जिसमें भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, फरीदाबाद, गुवाहटी, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता और मुंबई में स्थित तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालयों (आरडीएटी) की भूमि और भवनों सहित उनके मौजूदा कार्यकलापों, कार्मिकों, परिसंपत्तियों और देयताओं को समाहित किया जाएगा और आरडीएटी के कार्यालय समाप्त कर दिए जाएंगे। तथापि, मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र संस्थान अर्थात राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) / एनएसटीआई (प) अपने-अपने आरडीएसडीई के अंतर्गत समन्वित अधीनस्थ कार्यालय होंगे। आरडीएसडीई के अध्यक्ष को क्षेत्रीय निदेशक के रूप में जाना जाएगा और सीएफआई के लिए कोई अलग से निदेशक का पद नहीं होगा। आरडीएसडीई मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय होगा।

2. आरडीएसडीई का ब्यौरा उनके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार सहित **अनुबंध-1** में दिया गया है और आरडीएसडीई को सौंपे गए कार्य **अनुबंध-2** में दिए गए हैं। शिक्षुता अधिनियम, 1961 की धारा 27 के अनुसार आरडीएसडीई के क्षेत्रीय निदेशकों को क्षेत्रीय शिक्षुता सलाहकार के रूप में पदनामित करने के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

दिपांकर मल्लिक, उप-महानिदेशक

अनुबंध-I

क्र.सं.	आरडीएसडीई का नाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम)	आरडीएसडीई के अंतर्गत सेंट्रल फील्ड इंस्टीट्यूट (सीएफआई) का नाम
1.	आरडीएसडीई आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	
2.	आरडीएसडीई असम	गुवाहटी	असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा	एनएसटीआई (डब्ल्यू) तुरा, एनएसटीआई (डब्ल्यू) अगरतला
3.	आरडीएसडीई बिहार	पटना	बिहार	एनएसटीआई (डब्ल्यू) पटना
4.	आरडीएसडीई छत्तीसगढ़	रायपुर	छत्तीसगढ़	
5.	आरडीएसडीई गुजरात	गांधी नगर	गुजरात, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव	एनएसटीआई (डब्ल्यू) वडोदरा
6.	आरडीएसडीई हरियाणा	चंडीगढ़	हरियाणा, चंडीगढ़ (यूटी)	एनएसटीआई (डब्ल्यू) पंजाब
7.	आरडीएसडीई हिमाचल प्रदेश	शिमला	हिमाचल प्रदेश	एनएसटीआई (डब्ल्यू) शिमला
8.	आरडीएसडीई जम्मू और कश्मीर	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	एनएसटीआई (डब्ल्यू) जम्मू
9.	आरडीएसडीई झारखंड	रांची	झारखंड	एनएसटीआई जमशेदपुर
10.	आरडीएसडीई कर्नाटक	बेंगलूरू	कर्नाटक	एनएसटीआई 1 बेंगलूरू, एनएसटीआई 2 बेंगलूरू, एनएसटीआई (डब्ल्यू) बेंगलूरू
11.	आरडीएसडीई केरल	तिरूवनंतपुरम	केरल, लक्ष्यद्वीप	एनएसटीआई (डब्ल्यू) तिरूवनंतपुरम एनएसटीआई कालीकट
12.	आरडीएसडीई मध्य प्रदेश	भोपाल	मध्य प्रदेश	एनएसटीआई (डब्ल्यू) इंदौर
13.	आरडीएसडीई महाराष्ट्र	मुंबई	महाराष्ट्र, गोवा	एनएसटीआई मुंबई, एनएसटीआई (डब्ल्यू) मुंबई, एनएसटीआई (डब्ल्यू) गोवा
14.	आरडीएसडीई ओडिशा	भुवनेश्वर	ओडिशा	एनएसटीआई भुवनेश्वर
15.	आरडीएसडीई पंजाब	लुधियाना	पंजाब	एनएसटीआई लुधियाना
16.	आरडीएसडीई राजस्थान	जयपुर	राजस्थान	एनएसटीआई (डब्ल्यू) मोहाली
17.	आरडीएसडीई तमिलनाडु	चेन्नई	तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान तथा निकोबार द्वीप	एनएसटीआई चेन्नई, एनएसटीआई (डब्ल्यू) त्रिची
18.	आरडीएसडीई तेलंगाना	हैदराबाद	तेलंगाना	एनएसटीआई 1 हैदराबाद एनएसटीआई 2 हैदराबाद एनएसटीआई (डब्ल्यू) हैदराबाद
19.	आरडीएसडीई उत्तराखंड	देहरादून	उत्तराखंड	एनएसटीआई देहरादून एनएसटीआई हल्द्वानी

20.	आरडीएसडीई उत्तर प्रदेश	कानपुर	उत्तर प्रदेश	एनएसटीआई कानपुर, एनएसटीआई (डब्ल्यू) इलाहबाद
21.	आरडीएसडीई पश्चिम बंगाल		पश्चिम बंगाल, सिक्किम	एनएसटीआई कोलकाता, एनएसटीआई (डब्ल्यू) कोलकाता
22.	आरडीएसडीई दिल्ली	दिल्ली	नई दिल्ली	एनएसटीआई (डब्ल्यू) नोएडा

अनुबंध-।।

आरडीएसडीई के विस्तृत कार्य/गतिविधियां

(i) डीजीटी के सभी स्कीमों (सामान्य और महिला प्रशिक्षण) का कार्यान्वयन, निगरानी और समन्वय

(क) शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम

- डीजीटी मुख्यालय के समय-समय पर दिए जाने वाले अनुदेश के अनुसार आदान अर्थात पाठ्यक्रम आरंभ करना तथा पाठ्यक्रम समाप्त करना आदि।
- राज्यों में सभी आईटीआई में प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) सुनिश्चित करना।
- सभी आईटीआई राज्य भागीदारी में ग्रेडिंग व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं।

(ख) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण स्कीम

- मौजूदा कौशलों के परिवर्तन प्राविधि में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण

(ग) अग्रिम व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली

- उद्योग के साथ-साथ राज्य (राज्यों) के आईटीआई अनुदेशकों के साथ मिलकर अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना और चलाना।

(घ) शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम

- शिक्षुता के अनुबंधों का पंजीकरण।
- राज्य (राज्यों) में शिक्षुता प्रशिक्षण का संवर्धन।
- मुख्यालय के निदेशानुसार व्यापार समिति की बैठक तथा प्रादेशिक शिक्षुता सलाहकार समिति की बैठक का प्रबंधन।
- राज्य शिक्षुता सलाहकारों तथा प्रदेश के अंदर निजी क्षेत्र उद्योगों को सहायता और सलाह प्रदान करना।
- उद्योगों तथा उच्च स्तर के आईटीआई से मिलकर बीटीपी सुनिश्चित करना।

(ङ) राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम

- नियोजकों से प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त करना
- दावों का निपटान
- यह जानने के लिए कि शिक्षु वास्तव में शिक्षुता प्राप्त कर रहे हैं, एनएपीएस की मॉनिटरिंग करना

(च) औद्योगिक मूल्य संवर्धन प्रचालन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्टाइव)

- 36 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में फैले स्टाइव के अंतर्गत चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) (400 सरकारी तथा 100 निजी) के संबंध में भौतिक प्रगति तथा वित्तीय उपयोग
- स्ट्राइव की प्रक्रिया तथा प्रगति के संबंध में राज्य परियोजना कार्यान्वयन यूनिट (एसपीआईयू) में समन्वय
- 36 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के 100 औद्योगिक समूहों (आईसी) के संबंध में भौतिक प्रगति तथा वित्तीय उपयोग
- स्ट्राइव के अंतर्गत शिक्षुता कार्यक्रमों की प्रक्रिया और प्रगति के संबंध में राज्य शिक्षुता प्रबंधन समितियों में समन्वय

(छ) मॉडल आईटीआई का उन्नयन

- कार्यान्वयन की प्रगति की तिमाही समीक्षा, जिसमें निधि जारी करना और उसका उपयोग करना शामिल है।
- डीजीटी को लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- सिविल कार्यों की समीक्षा, औजारों और उपकरणों की खरीद, प्रशिक्षार्थियों के आंकड़ें – नामांकन, अधूरा छोड़ने वाले, उत्तीर्ण और तैनात की प्रगति की समीक्षा।

(ज) सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए 1396 सरकारी आईटीआई का उन्नयन

- कार्यान्वयन की प्रगति की तिमाही समीक्षा करना, जिसमें निधि जारी करना और उसका उपयोग, धन अर्जन, ब्याज अर्जन, राजस्व अर्जन, नए ट्रेड खोलना, मौजूदा ट्रेडों का उन्नयन, आईएमसी बैठकों का ब्यौरा आदि शामिल है।
- छमाही लेखा परीक्षा रिपोर्टें, क्षेत्र निरीक्षण, वित्तीय आकलन
- कार्यान्वयन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कमियों की पहचान करना और मुख्यालय को सूचित करना।

(झ) पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में कौशल विकास अवसंरचना में वृद्धि करना, जो केवल उन राज्यों के लिए क्षेत्रीय निदेशक (कौशल विकास) हेतु लागू है।

इस स्कीम में राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता का प्रावधान निम्नलिखित चार घटकों में विद्यमान है।

(i) प्रति आईटीआई तीन नए ट्रेड आरंभ करके आईटीआई का उन्नयन

(ii) नया छात्रावास, चार दीवारी का निर्माण करके और पुराने तथा अप्रचलित औजारों और उपकरणों को बदलकर आईटीआई में अवसंरचना की कमियों को पूरा करना।

(iii) केंद्र और राज्य स्तर पर निगरानी प्रकोष्ठों को निधियां जारी करना और

(iv) 8 राज्यों में नए आईटीआई स्थापित करना।

इस स्कीम की गतिविधियां और उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं:-

- प्राप्त हुए प्रस्ताव की संवीक्षा
- कक्षाओं और कार्यशाला के निर्माण की स्थिति के निगरानी और औजारों की खरीद
- जारी की गई निधियों और उसकी उपयोगिता की निगरानी
- प्रति आईटीआई 3 नए ट्रेड शुरू करके आईटीआई के उन्नयन की भौतिक प्रगति
- नए आईटीआई के निर्माण की स्थिति
- कार्यान्वयन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कमियों की पहचान करना और मुख्यालय को सूचित करना

(ञ) वाम पक्ष उग्रवाद प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास

निम्नलिखित के लिए अवसंरचना का सृजन:-

- प्रत्येक जिले में एक आईटीआई के हिसाब से 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)
- प्रत्येक जिले में दो एसडीसी के हिसाब से 68 कौशल विकास केंद्र (एसडीसी)

इस स्कीम के उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं:

- प्राप्त हुए प्रस्ताव की संवीक्षा
- कक्षाओं और कार्यशाला के निर्माण की स्थिति के निगरानी और औजारों की खरीद
- जारी की गई निधियों और उसकी उपयोगिता की निगरानी
- दीर्घावधि, अल्पावधि के लिए युवाओं के कौशल प्रशिक्षण और अनुदेशक प्रशिक्षण की निगरानी

- कार्यान्वयन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कमियों की पहचान करना और मुख्यालय को सूचित करना

(ii) <u>सभी स्कीमों (सीटीएस, एटीएस, सीआईटीएस) की परीक्षाओं के लिए ट्रेड परीक्षण प्रकोष्ठ</u>

- शिक्षुता पोर्टल पर अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी स्थापनाओं में प्रशिक्षण पाने वाले शिक्षुओं के प्रवेश पत्र पात्रता मानदंड, प्रायोगिक परीक्षा अंकों को अपलोड करना।
- शिक्षुता पोर्टल पर अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी स्थापनाओं में प्रशिक्षण पाने वाले शिक्षुओं के प्रवेश पत्र पात्रता मानदंड, प्रायोगिक परीक्षा अंकों को अपलोड करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय।
- शिक्षुता पोर्टल पर राज्य क्षेत्र और निजी स्थापना
- एनसीवीटी पोर्टल पर प्रवेश पत्र पात्रता मानदंड को अपलोड करने के लिए आईटीआई के साथ समन्वय
- एनसीवीटी पोर्टल पर प्रवेश पत्र तैयार करने और प्रायोगिक तथा इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंकों को अपलोड करने के लिए परीक्षा केंद्र मैपिंग के राज्य निदेशकों के साथ समन्वय
- राज्य नोडल आईटीआई पर इंजीनियरिंग ड्राइंग परीक्षा जांच करने के संबंध में पर्यवेक्षण/समन्वय तथा समयबद्ध तरीके से अंकों को अपलोड करना।
- ट्रेड परीक्षणों के सुगम संचालन के लिए राज्यों के साथ-साथ डीजीटी के ट्रेड परीक्षण प्रकोष्ठ के साथ समन्वय।

(iii) <u>सभी स्कीमों (कानूनी प्रकोष्ठ) के न्यायिक मामलों की संभाल</u>

सभी स्कीमों के न्यायिक मामलों की संभाल। इस कार्य के लिए डीजीटी मुख्यालय के विधि प्रकोष्ठ के साथ समन्वय।

(iv) प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के केंद्रों की गतिविधियों का समन्वय

(v) कौशल विकास और उद्यमशीलता संबंधी केंद्र/राज्य क्षेत्र की स्कीमों जैसे कि डीडीयू-जीकेवाई तथा एनयूएलएम आदि के लिए केंद्र/राज्य मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय

(vi) राज्य के जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में राज्य कौशल नोडल केंद्र और राज्य कौशलीकरण समिति के साथ समन्वय

(vii) <u>पॉलिटेक्निक की स्कीम</u>

- असेवित तथा अर्ध सेवित जिलों में नए पॉलिटेक्निकों की स्थापना
- मौजूदा 500 पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावासों का निर्माण
- मौजूदा 500 पॉलिटेक्निकों का उन्नयन
- पॉलिटेक्निकों के जरिए सामुदायिक विकास

(viii) विभिन्न गतिविधियों के लिए केंद्र/राज्य सरकार के अधिनियम के अंतर्गत कौशल विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय

(ix) जहां कही भी एनएसटीआई विस्तार केंद्र/शिक्षुता प्रकोष्ठ मौजूद हैं उनकी सभी गतिविधियों का पर्यवेक्षण

(x) कोई अन्य कार्य:- कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सौपा गया कोई अन्य कार्य

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(DIRECTORATE GENERAL OF TRAINING)

RESOLUTION

New Delhi, the 14th December, 2018

No.DGT-A-11018/1/2018-Adm.II.—The Government of India in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship have had under consideration the question of further improving skill training and apprenticeship training and ensure effective integrated development and monitoring of these programmes at State level. After careful consideration, it has been decided to set up Regional Directorates of Skill Development and Entrepreneurship (RDSDEs) for each State / UT. Proposed RDSDEs as per territorial jurisdictions given in Annexure-I would subsume the existing activities, personnel, assets and liabilities including lands and buildings of erstwhile Regional Directorates of

Apprenticeship Trainings (RDATs) located at Bhopal, Chandigarh, Chennai, Faridabad, Guwahati, Hyderabad, Kanpur, Kolkata and Mumbai and hence office of RDATs would cease to exist. However, the existing Central Field Institutes viz; National Skill Training Institutes (NSTIs) / NSTI (W) would be an integrated subordinate formation under respective RDSDEs. Heads of RDSDE would be known as Regional Director and there would not be any separate post of Directors for CFIs. RDSDEs would be Attached Offices of the Ministry.

2. Details of RDSDEs along with their territorial jurisdiction are given in **Annexure-I** and functions assigned to RDSDEs are given in **Annexure-II**. Separate order would be issued designating the Regional Directors of RDSDEs as **Regional Apprenticeship Advisor** in terms of Section 27 of the Apprentices Act, 1961.

DEEPANKAR MALLICK, Dy. Director General

Annexure-I

Sl.No.	Name of RDSDE	Headquarters	Territorial Jurisdiction (Names of States /UTs)	Names of Central Field Institutes (CFIs) under RDSDE
1.	RDSDE Andhra Pradesh	Vijayawada	Andhra Pradesh	
2.	RDSDE Assam	Guwahati	Assam Arunachal Pradesh Meghalaya Mizoram, Manipur Nagaland Tripura	NSTI (W) Tura, NSTI(W) Agartala,
3.	RDSDE Bihar	Patna	Bihar	NSTI (W)Patna
4.	RDSDE Chhattisgarh	Raipur	Chhattisgarh	
5.	RDSDE Gujarat	Gandhi Nagar	Gujarat Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu	NSTI (W) Vadodara
6.	RDSDE Haryana	Chandigarh	Haryana Chandigarh (UT)	NSTI(W) Panipat
7.	RDSDE Himachal Pradesh	Shimla	Himachal Pradesh	NSTI(W) Shimla
8.	RDSDE Jammu & Kashmir	Jammu	Jammu & Kashmir	NSTI(W) Jammu
9.	RDSDE Jharkhand	Ranchi	Jharkhand	NSTI Jamshedpur
10.	RDSDE Karnataka	Bengaluru	Karnataka	NSTI-1 Bengaluru, NSTI-2 Bengaluru, NSTI (W) Bengaluru
11.	RDSDE Kerala	Thiruvananthapuram	Kerala Lakshadweep	NSTI (W) Thiruvananthapuram NSTI Calicut
12.	RDSDE Madhya Pradesh	Bhopal	Madhya Pradesh	NSTI(W) Indore
13.	RDSDE Maharashtra	Mumbai	Maharashtra Goa	NSTI Mumbai, NSTI(W) Mumbai, NSTI(W) Goa
14.	RDSDE Odisha	Bhubaneswar	Odisha	NSTI Bhubaneswar
15.	RDSDE Punjab	Ludhiana	Punjab	NSTI Ludhiana NSTI(W) Mohali
16.	RDSDE Rajasthan	Jaipur	Rajasthan	NSTI(W) Jaipur, NSTI Jodhpur

17.	RDSDE Tamil Nadu	Chennai	Tamil Nadu Puducherry, Andaman & Nicobar Islands	NSTI Chennai, NSTI (W) Trichy
18.	RDSDE Telangana	Hyderabad	Telangana	NSTI 1 Hyderabad NSTI 2 Hyderabad NSTI (W) Hyderabad
19.	RDSDE Uttarakhand	Dehradun	Uttarakhand	NSTI Dehradun NSTI Haldwani
20.	RDSDE Uttar Pradesh	Kanpur	Uttar Pradesh	NSTI Kanpur, NSTI(W) Allahabad,
21.	RDSDE West Bengal		West Bengal Sikkim	NSTI Kolkata, NSTI(W) Kolkata
22.	RDSDE Delhi	Delhi	New Delhi	NSTI(W) Noida

Annexure-II

Broad Functions / Activities of RDSDEs

I. Implementation, Monitoring and Coordination of all Scheme (General and Women Training) of DGT

A) Craftsmen Training Scheme

- Giving inputs viz. addition of courses, deletion of courses etc. as per DGT Hqrs. instructions from time to time.
- Ensuring Dual System of Training (DST) in all ITIs in the States.
- Ensuring that all ITIs in the state participate in grading exercise.

B) Craft Instructor Training Scheme

- Training of Craft Instructors in the techniques of transferring hands-on skills.

C) Advanced Vocational Training System

- Design and run the short term training programme in association with industry as well for ITI instructors of the State(s)

D) Apprenticeship Training Scheme

- Registration of contracts of apprenticeship.
- Promoting Apprenticeship Training at in the State(s).
- Arranging Trade Committee Meeting and Regional Apprenticeship Advisory Committee meeting in accordance with the directives of Hqrs.
- Assistance and advice to State Apprenticeship Advisers and Private sector industries within the region
- Ensuring BTPs in association with industry and good graded ITIs.

E) National Apprenticeship Promotion Scheme

- Receiving claims from employer for reimbursement
- Claim clearance
- Monitoring of NAPS to know whether the apprentices are actually undergoing apprenticeship training

F) Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement Operation (STRIVE)

- Physical Progress and Financial Utilization with respect to the Industrial Training Institutes (ITIs) (400 Govt. and 100 Pvt) to be selected under STRIVE, spread over to 36 States and Union Territories.
- Coordination with the State Project Implementing Units (SPIUs) on the Progress and Process of STRIVE.
- Physical Progress and Financial Utilization with respect to 100 Industrial Clusters (ICs) to be selected from among 36 States and Union Territories.
- Coordination with the State Apprenticeship Management Committees (SAMCs)on the Progress and Process of Apprenticeship programmes under STRIVE.

G) Upgradation of Model ITIs

- Review of progress of implementation quarterlywhich include fund released vs. utilized
- Submission of audit report to DGT
- Review of civil works, procurement of tool &equipments, progress in trainees data: enrollment, drop-outs, pass-outs and placement

H) Upgradation of 1396 Government ITIs through Public Private Partnership.

- Review of progress of implementation quarterlywhich include fund released vs. utilized, seed money, interest earned, revenue earned, new trades opened, upgradation of existing trades, details of IMC meetings etc.
- Half/yearly audit reports, field inspections, financial assessment
- Identification of shortcomings to improve the implementation process and report to the Hqrs.

I) Enhancing Skill Development Infrastructure (ESDI) in NE States and Sikkim (Applicable only for Regional Director(Skill Development) for those States.

The Scheme has provision for Central assistance to States in following four components:

(i) Upgradation of ITIs by introducing three new trades per ITI;

(ii) Supplementing infrastructure deficiencies in ITIs by constructing new hostel, boundary wall and supplementing old and obsolete tools and equipment;

(iii) Funding Monitoring Cells at Central & State Level; and

(iv) Establishment of New ITIs in 8 States

The activities & responsibilities for this Scheme are as follows:

- Scrutiny of proposal received.
- Monitoring the status of construction of classroom & workshop and purchase of tools
- Monitoring of funds released vs. utilized
- Physical progress of upgradation of ITIs by introducing three new trades per ITI.
- Status of construction of new ITIs
- Identification of shortcomings to improve the implementation process and report to the Hqrs.

(J) Skill Development in 47 districts affected by Left Wing Extremism"

Infrastructure to be created for:-

- 47 Industrial Training Institutes (ITIs) @ one ITI per district
- 68 Skill Development Centres (SDCs) @ two SDCs per district

The responsibilities of this Scheme may be as follows:

- Scrutiny of proposal received.

- Monitoring the status of construction new ITIs and Skill Development Centres
- Monitoring of funds released vs. utilized
- Monitoring of skill training of youth for long term, short term and instructor training.
- Identification of shortcomings to improve the implementation process and report to the Hqrs.

II. **<u>Trade Testing Cell for examinations of all schemes (CTS, ATS, CITS)</u>**

- Uploading the hall ticket eligibility criteria, practical marks of apprentices' undergone training in all establishments under their jurisdiction on the apprenticeship portal.
- Coordination with States/UTs for uploading the hall ticket eligibility criteria, practical marks of apprentices' undergone training in
- State Sector and Private Establishments on the apprenticeship portal.
- Coordination with ITIs for uploading of hall ticket eligibility criteria on NCVT portal.
- Coordination with State Directorates for examination centre mapping, hall tickets generation and uploading of marks of Practical and Engineering Drawing on NCVT portal.
- Supervision/coordination regarding Engineering Drawing examination checking at district Nodal ITI & uploading these marks in time bound manner.
- Coordination with Trade Testing Cell at DGT as well as with States for smooth conducting of Trade Tests.

III. **<u>Handling of Court Cases of All Scheme (Legal Cell)</u>**

Handling of Court cases of all Schemes. Coordination with legal cell of DGT Hqrs. for the same.

IV. **Coordination the activities of Prime Minister Kaushal Kendra (PMKK) Prime Minister Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) Centres.**

V. **Coordination with Central/State Ministries / Departments for Central / State Sector schemes on Skill Development and Entrepreneurships such as DDU-GKY and NULM etc.**

VI. **Coordination with District Skill Nodal Centre and District Skilling Committee under the Chairmanship of District Collectors in the State**

VII. **<u>Scheme of Polytechnic</u>**

- Setting up of new polytechnic in un-served and under-served districts
- Construction of women hostel in existing 500 polytechnics
- Upgradation of 500 existing polytechnics
- Community Development through polytechnics

VIII. **Coordination with Skill Universities under Central/State Government Act for various activities.**

IX. **Supervision of all activities of NSTI Extension Centres/ Apprenticeship Cell wherever ii exists.**

X. **Any other functions** :- As may be assigned by the Government in the Ministry of Skill Development and entrepreneurship from time to time.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.01.09 18:01:20 +05'30'